संख्या- 52/26-ब0प्र0-2014-14(पी)/2010

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2014

विषय:- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नन्दगॉव मथुरा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-456/तीन/वि-4/फोटोग्राफस/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 के क्रम में अवगत कराना है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नन्दगांव मथुरा के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-844/26-ब0प्र0-2010-14(पी)/2010, दिनांक 20.10.2010 द्वारा रू0 100.00 लाख, शासनादेश संख्या-405/26-ब0प्र0-2011-14(पी)/2010, दिनांक 21.4.2011 द्वारा रू0 188.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-464/26-ब0प्र0-2012-14(पी)/2010, दिनांक 19.11.2012 द्वारा रू0 70.96 लाख अर्थात कुल रू0 358.96 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस समबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय औद्योगिक प्राशिक्षण संस्थान, नन्दगांव मथुरा के अवशेष भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन रू0 498.94 लाख की पी0एफ0ए0डी0 से मूल्यांकित लागत रू0 496.66 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीक़ृति प्रदान करते हुए मूल लागत तथा पुनरीक्षित लागत के अन्तर की धनराशि रू0 137.70 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 68.85 लाख (रू0 अडसठ लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1). स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2). कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व विभाग का होगा तथा निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाये और इन कार्यो का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

(3). प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(4). यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीरं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5). धनराशि का व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित किये गये मानक/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग को प्रतिमाह उपलब्ध कराये जायेगें तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अवशेष निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-216/दस-2014, दिनांक 27 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव

संख्या- 52 (1)/26-ब0प्र0-2014-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, मथुरा/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
6. वित्त् (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(दीनानाथ)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in